ए.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो v.

विकास मिश्रा @विकास मिश्रा (2023 की आपराधिक अपील संख्या 957) अप्रैल 10,2023

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 167 (2)-डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन-आचरण द्वारा न्यायिक प्रक्रिया की निराशा-प्रत्यर्थी पर आई. पी. सी. की धारा 409/120 बी के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था-<आई. डी. 4 पर, प्रत्यर्थी -आरोपी को सी. बी. आई. द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उसे सात दिनों की अवधि के लिए सी. बी. आई. हिरासत में भेज दिया गया था, यानी <आई. डी. 1 तक-हालाँकि, उक्त अवधि के दौरान प्रत्यर्थी -आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस प्रकार सी. बी. आई. द्वारा पूछताछ नहीं की जा सकी-इसके बाद, उसने 21.04.2021 पर अंतरिम जमानत प्राप्त की, जिसे 08.12.2021 तक बढ़ाया गया-बाद में, अंतरिम जमानत को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि आरोपी विशिष्ट निर्देशों के बावजूद विशेष न्यायालय में पेश नहीं हुआ और 167(2) Cr.P.C. 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र/रिपोर्ट दाखिल न करने के आधार पर-आवेदन खारिज कर दिया गया था-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थी को वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।167(2) Cr.P.C-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःसी. बी. आई. प्रत्यर्थी -अभियुक्त से पूछताछ नहीं कर सकी-अभियुक्त समय-समय पर अस्पताल में रहता था-अभियुक्त ने अपने आचरण से न्यायिक प्रक्रिया को निराश किया-इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि हिरासत में पूछताछ/जांच का अधिकार भी सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच एजेंसी के पक्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसे अभियुक्त ने जानबूझकर और सफलतापूर्वक विफल करने की कोशिश की है-सी. बी. आई. ने प्रत्यर्थी को चार दिनों की अवधि के लिए पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** सात दिनों की शेष अवधि के लिए पुलिस हिरासत के लिए सी**.** बी**.** आई**.** की प्रार्थना पर विचार करते हुए, ए**.**

एच.

321

322 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 3 एस. सी. आर.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशेष न्यायाधीश ने **16.04.2021** पर प्रतिवादी**-**अभियुक्त की सात दिन की पुलिस हिरासत प्रदान की।सात दिन की पुलिस हिरासत देने का आदेश अंतिम रूप ले चुका था।हालाँकि, ऐसा हुआ कि सात दिनों की पुलिस हिरासत समाप्त होने से पहले और इससे पहले कि सी**.** बी**.** आई**.** पूरे सात दिनों के लिए पूछताछ की शक्ति का प्रयोग करे, जो कि विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार सी**.** बी**.** आई**.** को उपलब्ध था, प्रतिवादी**-**अभियुक्त ने खुद को **18.04.2021** पर अस्पताल विद्वान भर्ती कराया। **21.04.2021** पर, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी।कानून की तय स्थिति के अनुसार इसलिए एक बार जमानत/अंतरिम जमानत पर, उस अवधि के दौरान कोई पुलिस हिरासत नहीं हो सकती है।इसलिए, सी**.** बी**.** आई**.** पुलिस हिरासत के तहत प्रतिवादी**-**आरोपी से पूरे सात दिनों तक पूछताछ नहीं कर सकी, जो अन्यथा सी**.** बी**.** आई**.** का अधिकार था।इसके बाद, आरोपी अंतरिम जमानत के दौरान समय**-**समय पर अस्पताल में रहे, जिसे भी समय**-**समय पर बढ़ाया गया।इसके बाद, दिनांक **1** के आदेश द्वारा, विशेष न्यायाधीश ने यह देखते हुए अंतरिम जमानत को रद्द कर दिया कि प्रत्यर्थी आरोपी ने अंतरिम जमानत का दुरुपयोग किया है और जांच में सीबीआई के साथ सहयोग नहीं किया है और उसके अस्पताल में भर्ती होने का कोई वैध कारण नहीं था।विशेष न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अभियुक्त द्वारा असहयोग को देखते हुए, न्यायिक हिरासत/पुलिस हिरासत में अभियुक्त से पूछताछ आवश्यक हो गई है।**[**पैरा **6] [327-**बी**-**एफ**]2.** इस तथ्य के बावजूद कि **16.04.2021** पर, विशेष न्यायाधीश ने प्रतिवादी**-**अभियुक्त की सात दिनों के लिए पुलिस हिरासत की अनुमति दी, यानी **22.04.2021** तक, प्रतिवादी**-**अभियुक्त ने खुद को पुलिस हिरासत की अवधि के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया, यानी **<ID2** पर और **21.04.2021** पर अंतरिम जमानत प्राप्त की, जिसे **<ID3]** तक बढ़ाया गया, जब विशेष न्यायाधीश ने यह देखते हुए उसकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी कि अभियुक्त ने उसे दिखाई गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और अंतरिम जमानत के दौरान उसने जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया है।दोहराव की कीमत पर, यह देखा गया है कि सात दिनों की पुलिस हिरासत देने के प्रारंभिक आदेश को अंतिम रूप दिया गया है।हालाँकि, उपरोक्त कारणों से आरोपी को स्वयं **18.04.2021** पर अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद

21.04.2021 पर अंतरिम जमानत प्राप्त करने के कारण**,** सीबीआई अपने पक्ष में एक वैध आदेश होने के बावजूद पुलिस हिरासत में आरोपी से पूछताछ नहीं कर सकी।अतः ए**.**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

323

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम विकास मिश्रा @विकास मिश्रा ए

प्रत्यर्थी**-**अभियुक्त ने विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दिए गए पुलिस अभिरक्षा के आदेश के पूर्ण संचालन को पूरी तरह से टाल दिया है।किसी भी अभियुक्त को जाँच और/या अदालत की प्रक्रिया के साथ खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।किसी भी अभियुक्त को अपने आचरण से न्यायिक प्रक्रिया को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह विवादित नहीं हो सकता कि हिरासत में पूछताछ/जांच का अधिकार भी सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच एजेंसी के पक्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है**,** जिसे आरोपी ने जानबूझकर और सफलतापूर्वक विफल करने की कोशिश की है।इसलिए**,** सी**.** बी**.** आई**.** को सात दिनों की शेष अवधि के लिए पुलिस हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति नहीं देने से**,** यह न्यायिक प्रक्रिया को विफल करने में सफल एक आरोपी को प्रीमियम देना होगा।**[**पैरा **8] [330-**डी**-**एच**]**

बी.

सी.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी

(1992) 3 एससीसी **141:[1992] 3** एस**.** सी**.** आर**. 158-**पुनर्विचार की आवश्यकता है।

डी.

बुध सिंह बनाम पंजाब राज्य **(2000) 9** एससीसी **266 -**

संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

[1992] 3 एस**.** सी**.** आर**. 158** पर पुनर्विचार की आवश्यकता पैरा **5.1**

ई.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2023 की आपराधिक अपील संख्या 957।

2022 के सी. आर. एम. (डी. बी.) संख्या 1638 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.09.2022 के निर्णय और आदेश से।

तुषार मेहता, एस. जी., श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., कानू अग्रवाल, वत्सल जोशी, सुश्री अमेयविक्रमा थानवी, सुश्री दीपबली दत्ता, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

एफ.

नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्ता, रजत सहगल, अभिर दत्त, अनुराग रावल, देबायन गंगोपाध्याय, सुश्री आरजू अनेजा, सम्यक जैन, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

जी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.09.2022 के विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

एच.

आपराधिक विविध आवेदन संख्या 1638/2022, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रत्यर्थी -अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C) की धारा 167 (2) के तहत वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंःआई. डी. 1 पर, सी. बी. आई. (ए. सी. बी., कोलकाता) द्वारा ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सी. आई. एस. एफ., रेलवे और अन्य के अधिकारियों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 120 बी/409 और भ्रष्टाचार

निवारण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपराध करने के लिए एक एफ. आई. आर./शिकायत दर्ज की गई। कि 16.04.2021 पर, प्रत्यर्थी -आरोपी विकास मिश्रा को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसे सात दिनों की अवधि के लिए यानी 22.04.2021 तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया।हालाँकि, सीबीआई हिरासत में रिमांड की उक्त अवधि के दौरान, प्रत्यर्थी -आरोपी विकास मिश्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इसलिए पुलिस हिरासत के बावजूद सीबीआई द्वारा उससे पूछताछ नहीं की जा सकी।

बी.

सी.

डी.

2.1 कि 21.04.2021 पर, प्रतिवादी-अभियुक्त को विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत पर बढ़ा दिया गया था जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया था।आई. डी. 1 पर, विद्वान विशेष न्यायालय ने प्रतिवादी-अभियुक्त की अंतरिम जमानत को इस आधार पर रद्द कर दिया कि वह विशिष्ट निर्देशों के बावजूद विशेष न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ और सी. बी. आई. जांच में भी सहयोग नहीं विद्वान ।कि 09.12.2021 पर और अंतरिम जमानत रद्द होने के बाद, प्रतिवादी-आरोपी को 11.12.2021 पर फिर से गिरफ्तार किया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।वह फिर से 12.12.2021 से 08.04.2022 तक, न्यायिक हिरासत में रहते हुए, आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर से 07.05.2022 से 08.09.2022 तक।2.2 कि अभियुक्त ने 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र/रिपोर्ट दाखिल न करने के आधार पर धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।
न्यायालयवन्यायालयिन्यायालयदन्यायालयन्यायालयवन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयिन्यायालयशन्यायालयेन्यायालयषन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयन्यायालययन्यायालयान्यायालययन्यायालयान्यायालयधन्यायालयीन्यायालय
शन्यायालय न्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयनन्यायालयन्यायालययन्यायालय
न्यायालयबन्यायालयान्यायालयतन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयान्यायालयथन्यायालय-न्यायालयसन्यायालयान्यायालयथन्यायालय
न्यायालयउन्यायालयकन्यायालयन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयआन्यायालयवन्यायालयेन्यायालयदन्यायालयनन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय न्यायालयइन्यायालयसन्यायालय
न्यायालयआन्यायालयधन्यायालयान्यायालयरन्यायालय न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयखन्यायालयान्यायालयरन्यायालयिन्यायालयजन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालय न्यायालयदन्यायालयिन्यायालययन्यायालयान्यायालय
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालय

न्यायालयअन्यायालयभन्यायालयिन्यायालययन्यायालयुन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयतन्यायाल
य न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय न्यायालयउन्यायालयसन्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयजन्यायालयमन्यायालयान्यायालयनन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयरन्यायालयदन्यायालय्न्यायालयदन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयनन्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयबन्यायालयान्यायालयदन्यायालय
न्यायालयधन्यायालयान्यायालयरन्यायालयान्यायालय
न्यायालय 1 न्यायालय 6 न्यायालय 7 न्यायालय न्यायालय(न्यायालय 2 न्यायालय)न्यायालय
न्यायालय C न्यायालय r न्यायालय.न्यायालय P न्यायालय.न्यायालय C न्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयतन्यायालयहन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयहन्यायालयिन्यायालयरन्यायालयान्यायालयसन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय न्यायालयनन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयभन्यायालयेन्यायालयजन्यायालयान्यायालय
न्यायालयगन्यायालययन्यायालयान्यायालय न्यायालयथन्यायालयान्यायालय,न्यायालय
न्यायालयइन्यायालयसन्यायालय न्यायालयआन्यायालयधन्यायालयान्यायालयरन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयरन्यायालय न्यायालयकन्यायालयिन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयभन्यायालयिन्यायालययन्यायालयुन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयतन्यायाल
य न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयधन्यायालय्न्यायालययन्यायालयान्यायालययन्यायालय
न्यायालय X न्यायालय X न्यायालय X न्यायालय I न्यायालय I न्यायालय I न्यायालय
न्यायालय C न्यायालय r न्यायालय.न्यायालय P न्यायालय.न्यायालय C न्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयपन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयान्यायालयवन्यायालयधन्यायालयान्यायालयनन्यायालय
ोन्यायालयंन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयतन्यायालयहन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयंन्यायालयतन्यायालयरन्यायालयिन्यायालयमन्यायालय
न्यायालयजन्यायालयमन्यायालयान्यायालयनन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयदन्यायालयीन्यायालय विद्वान न्यायालय न्यायालयथन्यायालयीन्यायालय।न्यायालयकि
19.07.2022 पर, सी. बी. आई. ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दायर विद्वान और उसी तारीख को विद्वान विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।

ई.

एफ.

जी.

एच.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम विकास मिश्रा @विकास मिश्रा [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

2.3 अभियुक्त विकास मिश्रा द्वारा धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने वाले विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ, प्रतिवादी-अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान आवेदन को प्राथमिकता दी।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया है और धारा 167 (2) Cr.P.C के तहत प्रत्यर्थी को वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है. क्योंकि पुनः गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिनों के भीतर भी, यानी 11.12.2021 से, आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था और जो केवल 19.07.2022 पर दायर किया गया था।प्रतिवादी-अभियुक्त विकास मिश्रा को वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और विवादित फैसले के खिलाफ, सीबीआई ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

सी.

3. 27.02.2023 पर नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

“अभियुक्त से अभिरक्षा में पूछताछ करने के लिए जाँच एजेंसी की प्रार्थना पर विचार करने के लिए नोटिस जारी करें, जिससे इसे 13.03.2023 पर वापस किया जा सके।

डी.

श्री रजत सहगल, विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं, जो कैविएट पर है।

पहले दस मदों के भीतर अधिसूचित किया जाना।”

ई.

4. सुश्री ऐश्वर्या भाटी, सी. बी. आई. की ओर से पेश होने वाली विद्वान ए. एस. जी. ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत विद्वान है कि इस प्रकार सी. बी. आई. को आई. डी. 2 पर आई. डी. 1 तक सात दिनों की अवधि के लिए पुलिस हिरासत मिली है।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि हालाँकि आरोपी ने पहले खुद को अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद अंतरिम जमानत प्राप्त की, जिसे बाद में 08.12.2021 पर रद्द कर दिया गया, लेकिन सीबीआई पुलिस हिरासत रिमांड का उपयोग नहीं कर सकी, जिसकी अनुमति विद्वान विशेष न्यायाधीश ने 16.04.2021 पर दी थी।4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि सात दिन की पुलिस हिरासत देने के आदेश को अंतिम

रूप दिया गया है और इसलिए सीबीआई को सात दिनों की शेष अवधि के लिए आरोपी की पुलिस हिरासत दी जानी चाहिए।

एफ.

जी.

4.2 यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि प्रतिवादी-अभियुक्त किसी न किसी आधार पर खुद को अस्पताल में भर्ती कराने में कामयाब रहे और इसलिए विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पुलिस रिमांड के आदेश को सफलतापूर्वक विफल कर दिया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी को भी अदालत की प्रक्रिया को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

एच.

4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, प्रत्यर्थी -अभियुक्त की सात दिनों की शेष अवधि के लिए पुलिस हिरासत देने का अनुरोध किया जाता है, जिसका उपयोग सीबीआई नहीं कर सकी क्योंकि प्रत्यर्थी ने खुद को अस्पताल में भर्ती कराया और अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया।

5. प्रत्यर्थी -अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल ने वर्तमान आवेदन और आगे पुलिस हिरासत रिमांड के लिए सी. बी. आई. की प्रार्थना का जोरदार विरोध विद्वान है।

बी.

5.1 केन्द्रीय के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए

ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाम अनुपम जे**.** कुलकर्णी**,** में रिपोर्ट **(1992)**

3 एस**.** सी**.** सी**. 141** और बुध सिंह बनाम के मामले में बाद का निर्णय।

सी.

पंजाब राज्य, (2000) 9 एस. सी. सी. 266 में सूचित किया गया है, यह जोरदार है।

अभियुक्त की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल ने विद्वान कि गिरफ्तारी की तारीख से पहले 15 दिनों के बाद कोई पुलिस हिरासत नहीं दी जा सकती है।यह प्रस्तुत किया

जाता है कि इसलिए अब पुलिस हिरासत जो गिरफ्तारी की तारीख से 15 दिनों की अवधि से अधिक होगी, स्वीकार्य नहीं है।

डी.

5.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा वर्तमान मामले में प्रतिवादी-अभियुक्त को समय-समय पर उसकी गंभीर और नाजुक चिकित्सा स्थिति के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।कि 18.04.2021 पर, प्रत्यर्थी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया जिसके कारण उसे अपीलार्थी एजेंसी द्वारा ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद 20.04.2021 पर उन्हें बेहतर उपचार और चिकित्सा सुविधाओं के लिए एक अन्य अस्पताल-एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जांच एजेंसी की ओर से प्रस्तुत करने में कोई सार नहीं है कि 18.04.2021 पर आरोपी ने अपनी हिरासत से बचने के लिए खुद को अस्पताल में भर्ती कराया।

ई.

एफ.

5.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा 08.04.2022 से 18.04.2022 के बीच जब प्रत्यर्थी को एक अन्य मामले में पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था, उस दौरान, वर्तमान आर. सी. में भी उससे व्यापक पूछताछ की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अंतरिम जमानत पर रहते हुए भी प्रत्यर्थी आरोपी से पूछताछ की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए सीबीआई की ओर से अब प्रतिवादी-अभियुक्त की पुलिस हिरासत के लिए की गई प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

जी.

5.4 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल ने सह-ए द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 1620-1621/2021 के लंबित होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित विद्वान है।

एच.

327

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम विकास मिश्रा @विकास मिश्रा [एम. आर. शाह, जे.] ए.

अभियुक्त जिसमें सी. बी. आई. द्वारा की गई जाँच स्वयं चुनौती के अधीन है और इस न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया कि उस विशेष अनुमति याचिका के याची के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने चाहिए।

5.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

बी.

6. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

सात दिनों की शेष अवधि के विद्वान पुलिस हिरासत के विद्वान सी. बी. आई. की प्रार्थना पर विचार करते हुए, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस प्रकार विशेष न्यायाधीश ने 16.04.2021 पर प्रतिवादी-अभियुक्त को सात दिनों की पुलिस हिरासत प्रदान की।सात दिन की पुलिस हिरासत देने का आदेश अंतिम रूप ले चुका था।हालाँकि, ऐसा हुआ कि सात दिनों की पुलिस हिरासत समाप्त होने से पहले और इससे पहले कि सी. बी. आई. पूरे सात दिनों के लिए पूछताछ की शक्ति का प्रयोग करे, जो कि विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार सी. बी. आई. को उपलब्ध था, प्रतिवादी-आरोपी ने खुद को 18.04.2021 पर अस्पताल विद्वान भर्ती कराया।21.04.2021 पर, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी।कानून की तय स्थिति के अनुसार इसलिए एक बार जमानत/अंतरिम जमानत पर, उस अवधि के दौरान कोई पुलिस हिरासत नहीं हो सकती है।इसलिए, सी. बी. आई. पुलिस हिरासत के तहत प्रतिवादी-आरोपी से पूरे सात दिनों तक पूछताछ नहीं कर सकी, जो अन्यथा सी. बी. आई. का अधिकार था।इसके बाद, आरोपी अंतरिम जमानत के दौरान समय-समय पर अस्पताल में रहे, जिसे भी समय-समय पर बढ़ाया गया।इसके बाद, दिनांक 1 के आदेश द्वारा, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने यह देखते हुए अंतरिम जमानत को रद्द कर दिया कि प्रत्यर्थी आरोपी ने अंतरिम जमानत का दुरुपयोग विद्वान है और जांच में सीबीआई के साथ सहयोग नहीं विद्वान है और उसके अस्पताल में भर्ती होने का कोई वैध कारण नहीं था।विद्वान विशेष न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अभियुक्त द्वारा असहयोग को देखते हुए, न्यायिक हिरासत/पुलिस हिरासत के तहत अभियुक्त से पूछताछ आवश्यक हो गई है।अंतरिम जमानत को रद्द करने के दिनांकित 08.12.2021 आदेश में विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैंः

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

“दोनों पक्षों को सुना, सीडी और केस रिकॉर्ड में सामग्री का अध्ययन किया और विचार किया।

निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे और ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वीकार किया गया है कि न तो आरोपी व्यक्ति ने किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है और न ही उसके न्याय से भागने की संभावना है।एकमात्र पहलू

एच.

जिस पर न्यायनिर्णयन के तहत वर्तमान प्रार्थना निहित प्रतीत होती है, वह यह है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अपनी उपस्थिति के दौरान जांच एजेंसी को सहयोग नहीं देकर जानबूझकर जांच की प्रगति को रोक दिया।इसके लिए मैं यहां यह समझने आया हूं कि आरोप कितना वास्तविक है और क्या इस आरोपी व्यक्ति की ओर से इस तरह का कथित गैर-सहयोग उसकी जमानत की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने और उसे धारा 437 (5) सीआरपी को लागू करते हुए हिरासत में वापस करने के लिए पर्याप्त आधार है। पी. सी. मैंने जमानत पर रहते हुए 10 और इस आरोपी व्यक्ति और 10 के बीच अलग-अलग तारीखों पर लिखित बातचीत को ध्यान से देखा है।उन्हें पूछे गए प्रश्नों के दिए गए उत्तर किसी भी तरह से जांच के दौरान 10 द्वारा एकत्र किए गए दस्तावेजी साक्ष्य की सामग्री की पुष्टि करने की दिशा में नहीं हैं।गवाहों के बयान धारा 161 और 164 के तहत दर्ज किए गए। पी. सी. और एकत्र किए गए दस्तावेजी साक्ष्य जैसे लेखा विवरण आदि इस आरोपी व्यक्ति की अभी तक अज्ञात या अज्ञात संस्थाओं को भारी राशि प्रेषित करने में प्रत्यक्ष भागीदारी का खुलासा करते हैं।यह मनी ट्रेल अभियुक्त व्यक्तियों के नाम वाली अन्य एफ़. आई. आर. से भी सीधा संबंध रखता है, चाहे वह लोक सेवक हों या नहीं, जैसा कि सी. डी. से पता चलता है। समान विवेक वाला कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि जब तक इन विवरणों का पता नहीं चलता, तब तक जांच बुरी तरह से बाधित होगी और पूरी सच्चाई का कभी पता नहीं चलेगा।ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि न्यायिक हिरासत और आरोपी व्यक्ति से हिरासत में पूछताछ का सहारा लेना होगा।मैं यह भी कहने के लिए आश्वस्त हूं कि यह असहयोग सचेत रूप से सक्रिय और पूर्व-परिकल्पित है और यह अभियुक्त व्यक्ति की ओर से जमानत की स्वतंत्रता का जानबूझकर दुरुपयोग करने के लिए पर्याप्त है जो उसने विशेष रूप से चिकित्सा आधार पर प्राप्त किया था।इस स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने की अनुमति देने की मेरी सराहना निश्चित रूप से सार्वजनिक न्याय के उद्देश्य को विफल कर देगी।अपराध की प्रकृति और गंभीरता, इस अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ अंतरिम जमानत दिए जाने से पहले और बाद में एकत्र किए गए साक्ष्य का स्वरूप, वर्तमान परिस्थितियाँ और जांच को आगे बढ़ाने में सहायता करने में अभियुक्त व्यक्ति की जानबूझकर अनिच्छा का संकेत, और जनता और राष्ट्र का व्यापक हित- सभी एक समय में, मुझे न्यायिक निष्कर्ष पर कूदने के लिए प्रेरित करते हैं कि अभियुक्त व्यक्ति को अब 21.04.2021 पर दी गई अंतरिम जमानत की स्वतंत्रता का आनंद लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जिसे समय-समय पर आज तक बढ़ाया गया है।एल. डी. द्वारा पूर्ववर्ती पर भरोसा किया गया। अभियुक्त व्यक्ति के वकील सभी तथ्यात्मक ए से भिन्न हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

329

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम विकास मिश्रा @विकास मिश्रा [एम. आर. शाह, जे.] ए.

वर्तमान मामले का मैट्रिक्स और इसलिए कोई अलग उल्लेख की आवश्यकता नहीं है।जहां तक अभियुक्त व्यक्ति की ओर से प्रदान किए गए दस्तावेजों से अभियुक्त व्यक्ति की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का संबंध है, यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि उसका स्वास्थ्य उस स्थिति में है जो वह अंतरिम जमानत प्राप्त करने के समय था, निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए डॉक्टरों की सलाह के साथ।लेकिन केवल यही उसे कारावास की कठोरता से नहीं बचाना चाहिए, जिसमें उसे होना चाहिए था, अगर वह बीमारी नहीं थी जो परिमाण प्राप्त करने के समय नहीं थी तो उसे अंतरिम जमानत नहीं दी गई थी।चिकित्सा दस्तावेजों में यह मानने के लिए कुछ भी नहीं है कि आरोपी ठीक से चलने, सोचने या बात करने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य नहीं है, जैसा कि एल. डी. द्वारा आग्रह किया गया था। अभियुक्त व्यक्ति के लिए अधिवक्ता। इसके विपरीत यह पाया गया है कि आरोपी व्यक्ति इस मामले की शुरुआत से पहले से ही लीवर सिरोसिस से पीड़ित है और उसकी स्वास्थ्य स्थिति में उतार-चढ़ाव आए थे।इसके लिए यह न्यायालय उनकी पुरानी बीमारियों की याचिका में सच्चाई को डूबने नहीं दे सकती।

बी.

सी.

डी.

आज जमा की गई चिकित्सा रिपोर्टों पर आते हुए यह पाया गया कि आज सुबह 12.10 पर उन्होंने खुद को अपोलो अस्पताल में स्थानांतरित कर लिया, जहाँ उनकी जांच की गई और उन्हें एक विशेषज्ञ फुफ्फुसीय विशेषज्ञ के उपचार के तहत किसी चिकित्सकीय रूप से अनिर्दिष्ट वार्ड (डीलक्स) में आसानी से भर्ती कराया गया।उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि आपातकालीन प्रवेश सलाह प्रपत्र को हाथ से काट दिया गया है जिससे यह एक सीधा प्रवेश सलाह प्रपत्र बन गया है और बार-बार अधिलेखन के कारण वहां का बिस्तर संख्या भी अवैध है।जमा किए गए प्रवेश पत्र से पता चलता है कि अस्पताल में रोगी के रहने की अपेक्षित अवधि शून्य है।यहां तक कि अगर यह स्वीकार किया जाता है कि आरोपी व्यक्ति को

एक संदिग्ध फुफ्फुसीय पथ के संक्रमण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो यह इस न्यायालय द्वारा पहले से ही ऊपर निकाले गए प्रतिकूल निष्कर्षों को दूर नहीं करता है।सटीक जाँच के लिए न्यायिक निरोध के माध्यम से अभियुक्त व्यक्ति की जबरदस्ती भागीदारी अब आसन्न और अपरिहार्य प्रतीत होती है।"

ई.

एफ.

7. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और अंतरिम जमानत को रद्द करते समय विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में, अनुपम जे. कुलकर्णी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार विद्वान जाना आवश्यक है।

जी.

7.1 यह सच है कि अनुपम जे. कुलकर्णी (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि 15 से अधिक पुलिस हिरासत नहीं हो सकती है।

एच.

गिरफ्तारी की तारीख से दिन।हमारी राय में, इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

अनुपम जे. कुलकर्णी (ऊपर) के मामले में पुनर्विचार की आवश्यकता है।

जब हम प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल से एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न पूछते हैं कि किसी मामले में ऐसा हो सकता है कि विद्वान विचारण/विशेष न्यायालय गलती से पुलिस हिरासत देने से इनकार कर दे जो 15 दिनों के भीतर और/या गिरफ्तारी की तारीख को तुरंत मांगी गई थी और उसके बाद परीक्षण/विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश को जांच एजेंसी द्वारा उच्च न्यायालय, अर्थात् सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है और उच्च न्यायालय पुलिस हिरासत देने से इनकार करने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट के फैसले को उलट देता है और उस समय तक 15 दिनों की अवधि समाप्त हो जाती है, तो क्या स्थिति होगी?विद्वान वरिष्ठ वकील न्यायालय के प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है।

बी.

सी.

8. जो भी हो, वर्तमान मामले में तथ्य बहुत स्पष्ट हैं।इस तथ्य के बावजूद कि 16.04.2021 पर, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने प्रतिवादी-अभियुक्त की सात दिनों के लिए पुलिस हिरासत की अनुमति दी, यानी 22.04.2021 तक, प्रतिवादी-अभियुक्त ने खुद को पुलिस हिरासत की अवधि के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया, यानी <ID2 पर और 21.04.2021 पर अंतरिम जमानत प्राप्त की, जिसे <ID3] तक बढ़ाया गया, जब विद्वान विशेष न्यायाधीश ने यह देखते हुए उसकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी कि आरोपी ने उसे दिखाई गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग विद्वान है और अंतरिम जमानत के दौरान उसने जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं विद्वान है। दोहराव की कीमत पर, यह देखा गया है कि सात दिनों की पुलिस हिरासत देने के प्रारंभिक आदेश को अंतिम रूप दिया गया है।हालाँकि, उपरोक्त कारणों से आरोपी को स्वयं 18.04.2021 पर अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद 21.04.2021 पर अंतरिम जमानत प्राप्त करने के कारण, सीबीआई अपने पक्ष में एक वैध आदेश होने के बावजूद पुलिस हिरासत में आरोपी से पूछताछ नहीं कर सकी।इस प्रकार, प्रतिवादी-अभियुक्त ने विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा दिए गए पुलिस अभिरक्षा के आदेश के पूर्ण संचालन से सफलतापूर्वक बचा लिया है।किसी भी अभियुक्त को जाँच और/या अदालत की प्रक्रिया के साथ खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।किसी भी अभियुक्त को अपने आचरण से न्यायिक प्रक्रिया को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह विवादित नहीं हो सकता कि हिरासत में पूछताछ/जांच का अधिकार भी सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच एजेंसी के पक्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसे आरोपी ने जानबूझकर और सफलतापूर्वक विफल करने की कोशिश की है।इसलिए, सी. बी. आई. को सात दिनों की शेष अवधि के लिए पुलिस हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति नहीं देने से, यह एक ऐसे आरोपी को प्रीमियम देना होगा जो न्यायिक प्रक्रिया को विफल करने में सफल रहा है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

331

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम विकास मिश्रा @विकास मिश्रा [एम. आर. शाह, जे.]

ए.

9. अब जहाँ तक इस न्यायालय के समक्ष सह-अभियुक्त द्वारा विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 1620-1621/2021 के लंबित होने के बारे में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत करने और अंतरिम आदेश कि "याची के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए जाने

चाहिए" का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सह-अभियुक्त के कहने पर विशेष अनुमति याचिकाओं के लंबित होने का वर्तमान कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है।यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में आरोपी-विकास मिश्रा ने वास्तव में इसी तरह की विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, हालांकि, इस न्यायालय ने प्रतिवादी-आरोपी को कानून में उपलब्ध उपायों को आगे बढ़ाने के लिए उसके पक्ष में स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

बी.

सी.

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है।अपीलार्थी-सी. बी. आई. को चार दिनों की अवधि के लिए प्रत्यर्थी की पुलिस हिरासत रखने की अनुमति है (इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के अनुसार प्रत्यर्थी -अभियुक्त की सात दिनों की पुलिस हिरासत दी गई थी, हालांकि ऊपर बताए गए कारणों से, सी. बी. आई. प्रत्यर्थी -अभियुक्त से केवल ढाई दिनों की अवधि के लिए पूछताछ कर सकती थी और इसलिए सात दिनों की पुलिस हिरासत की पूरी अवधि के लिए पूछताछ के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती थी)।11. तदनुसार तत्काल अपील की अनुमति उपरोक्त सीमा तक दी जाती है।

डी.

ई.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः अभिषेक अग्निहोत्री और महेंद्र यादव, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.